रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 344] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 25, 2009/फाल्गुन 6, 1930

No. 344] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 25, 2009/PHALGUNA 6, 1930

जल संसाधन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2009

का.आ. 543(अ).—अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 4 के अधीन अधिसूचना सं. का.आ. 451(अ) द्वारा 2 अप्रैल, 2004 को कृष्णा जल विवाद अधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकरण कहा गया है) का गठन अंतर्राज्यिक कृष्णा नदी और उसकी नदी घाटी से संबंधित जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए किया गया था;

और उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन उक्त अधिकरण से अपेक्षा की गई थी कि वह अपनी रिपोर्ट और विनिश्चय 1 अप्रैल, 2007 को या उससे पूर्व प्रस्तुत करें;

और उक्त अधिकरण ने रिपोर्ट और विनिश्चय को प्रस्तुत करने की अवधि को 2 अप्रैल, 2007 से एक वर्ष और अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था;

और केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना सं. का.आ. 400(अ) तारीख 20 मार्च, 2007 द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय की प्रस्तुति की अवधि को 2 अप्रैल, 2007 से एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाया था;

और उक्त अधिकरण ने रिपोर्ट और विनिश्चय की प्रस्तुति की अवधि को 2 अप्रैल, 2008 से एक वर्ष की और अवधि के लिए पुनः बढ़ाने का अनुरोध किया था;

और केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना सं. का.आ. 414(अ) तारीख 3 मार्च, 2008 द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय को प्रस्तुत करने की अवधि को 2 अप्रैल, 2008 से छः मास की और अवधि के लिए बढ़ा दिया था;

और उक्त अधिकरण ने रिपोर्ट और विनिश्चय की प्रस्तुति की अवधि को 1 अप्रैल, 2009 तक छः मास की और अवधि के लिए बढ़ाने का पुनः अनुरोध किया था;

और केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना सं. का.आ. 2116(अ) तारीख 27 अगस्त, 2008 द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय को प्रस्तुत करने की अवधि को छः मास की और अवधि के लिए 1 अप्रैल, 2009 तक बढ़ा दिया था;

और कर्नाटक सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय से रिट याचिका 408/2008 द्वारा निवेदन किया है कि वह केन्द्रीय सरकार को फरवरी या मार्च, 2006 को अधिकरण के गठन की तारीख के रूप में निश्चित करने के लिए निदेश दें;

और माननीय उच्चतम न्यायालय ने 17 दिसम्बर, 2008 को मामले की सुनवाई की और निदेश दिया कि अन्तर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन कृष्णा जल विवाद अधिकरण के गठन की प्रभावी तारीख 1 फरवरी, 2006 होगी ।

और उक्त अधिकरण ने अपनी रिपोर्ट और विनिश्चय की प्रस्तुति की अवधि को तदनुसार बढ़ाने का अनुरोध किया है;

और न्यायालय के आदेश, अधिसूचना सं. का.आ. 2116(अ) तारीख 27 अगस्त, 2008 तथा उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के परंतुक पर विचार करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार ने 31 जनवरी, 2010 तक अवधि को बढ़ाने का निश्चय किया है ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृष्णा जल विवाद अधिकरण द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय की प्रस्तुति करने की अवधि को 31 जनवरी, 2010 तक के लिए बढ़ाती है ।

[फा. सं. 17/1/2007-बे.प्र.]

एस. मनोहरन, अपर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2009

S.O. 543(E).—Whereas, the Krishna Water Disputes Tribunal (hereinafter called the said Tribunal) was constituted on 2nd April, 2004 *vide* notification number S.O. 451(E) under Section 4 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956) for the adjudication of the water disputes regarding Inter-State River Krishna and iver valley thereof;

And whereas, the said Tribunal was required to submit its report and decision under sub-section (2) of Section 5 of the said Act on or before the 1st day of April, 2007;

And whereas, the said Tribunal had requested to extend the period of submission of report and decision for a further period of one year with effect from 2nd April, 2007;

And whereas the Central Government *vide* notification number S.O. 400(E) dated the 20th March, 2007 had extended the period of submission of report and decision for a further period of one year with effect from 2nd April, 2007;

And whereas, the said Tribunal again requested to extend the period of submission of report and decision for a further period of one year with effect from 2nd April, 2008;

And whereas the Central Government *vide* notification number S.O. 414(E), dated the 3rd March, 2008 had extended the period of submission of report and decision for a further period of six months with effect from 2nd April, 2008;

And whereas, the said Tribunal again requested to extend the period of submission of report and decision for a further period of six months upto 1st April, 2009;

And whereas the Central Government *vide* notification number S.O. 2116(E), dated the 27th August, 2008 had extended the period of submission of report and decision for a further period of six months upto 1st April, 2009;

And whereas, the Government of Karnataka approached Hon'ble Supreme Court *vide* Writ Petition 408/2008 to direct the Central Government to reckon the date of constitution of the Tribunal as February or March, 2006;

Whereas the Hon'ble Supreme Court heard the matter on 17th December, 2008 and directed that effective date of the constitution of the Krishna Water Disputes Tribunal under Section 3 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956, would be 1st February, 2006;

And whereas the said Tribunal has requested to extension of the period of submission of its report and decision accordingly;

And whereas after taking into consideration the Court order, the notification number S.O. 2116(E), dated the 27th August, 2008 and the proviso to sub-section (2) of Section 5 of the said Act, the Central Government has decided to extend the period upto 31st January, 2010.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of Section 5 of the said Act, the Central Government hereby extends the period of submission of report and decision by Krishna Water Disputes Tribunal upto 31st January, 2010.

[F. No. 17/1/2007-BM]

S. MANOHARAN, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.